न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38/2018

1 शंकर पुत्र झाबर जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 रूड़ा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 कजोड़ दतक पुत्र नत्थू उर्फ नाथिया जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 रूड़ा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 मनकोरी पुत्री न्योला पत्नी चुन्नीलाल जाति माली निवासी जादम ईंट भट्ठा डूण्डलोद फाटक के पास मोहब्बतसर, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 14 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 खेताराम पुत्र सुरजा जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 रूड़ा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 रहीशा बानो पत्नी मुन्ना कुरेशी जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 10 रूड़ा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 सुरेश पुत्र गिरधारी
4 बिमला पुत्री गिरधारी
5 झण्डू पुत्र गिरधारी
6 महेन्द्र पुत्र गिरधारी
7 नानी पुत्री गिरधारी
8 मूंगा पुत्र झाबर
9 मन्नी पत्नी मंगला
10 सीताराम पुत्र मंगला
11 नौरंग पुत्र मंगला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 रूड़ा मिश्रा वाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झूनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र सं. 40/2014 उनवानी खेताराम वगै.
बनाम गिरधारी वगै. निर्णय दिनांक 27.04.2018

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मो. फारूक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 6.11.24

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 13 के विरूद्ध एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत जमीन हाल खसरा नम्बर 1157 लगायत 1163 एवं 1188, 1189, 1193, 1194 कुल किता 11 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1195 व 1197 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.36 हैक्टेयर सरहद कस्बा नवलगढ़ बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 40/2014 को निर्णय दिनांक 27.04.2018 के द्वारा निस्तारित कर उक्त जमीन के बाबत तादौराने दावा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट को मौका व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखने के आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार क्षति के बिन्दु को बिना तय किये निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये उक्त तीनों बिन्दुओं पर व्याख्या सहित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। विचारण न्यायालय ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। कानून से कब्जे के बिन्दु को निर्धारित किये बिना यथास्थिति का आदेश दिया जाना अवैधानिकता है। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 11 जमीन जैर बहस के सहखातेदार है। रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध कानून से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय जैर बहस पारित किया है जो काबिले खारिज है। तमाम रिकार्डेड टिनेन्टस को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्राईमाफेसी केस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नहीं है। रिकॉर्डेड टिनेन्ट को उसकी खातेदारी के फ्रुट्स लेने से नहीं रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1547 रकबा 8 बिश्वा, 1549 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 1 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 1559 रकबा 4 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1576 रकबा 6 बीघा 1 बिश्वा किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी लादिया नत्थू न्योला पिता सेवा कोम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमाबंदी में भूमि खसरा नम्बर 1560 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा की खातेदारी लादिया नथीया न्योला पि. सेवा कोम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल से पुराने खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर बन्ना प्रमाणित है। अतः उपरोक्त रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी आवेदक नम्बर 1 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 8 की पैत्रिक होना साबित हे। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान बाबत वाद घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करने हकत्याग का विचाराधीन है जो शहादत वादी में जेरकार है। संबंधित पक्षकारान के हक अधिकार मूलवाद में प्रस्तुत रिकार्ड, साक्ष्य सबूत व गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1547 रकबा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झनू

8 बिश्वा, 1549 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा, खसरा नम्बर 1558 रकबा 1 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नम्बर 1559 रकबा 4 बीघा 16 बिश्वा, खसरा नम्बर 1576 रकबा 6 बीघा 1 बिश्वा किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी लादिया नत्थू न्योला पिता सेवा कोम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा इसी जमाबंदी में भूमि खसरा नम्बर 1560 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा की खातेदारी लादिया नथीया न्योला पि. सेवा कोम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल से पुराने खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर बन्ना प्रमाणित है। अतः उपरोक्त रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी आवेदक नम्बर 1 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 8 की पैत्रिक होना साबित हे। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान बाबत वाद घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करने हकत्याग का विचाराधीन है जो शहादत वादी में जेरकार है। संबंधित पक्षकारान के हक अधिकार मूलवाद में प्रस्तुत रिकार्ड, साक्ष्य सबूत व गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर